उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

विविध (प्रतिबंधित सूची से मुक्त संबंधी) वाद संख्या संख्या–27 / 2023

प्रमोद कुमार साहु

–बनाम–

राज्य, अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग।

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
दिनांक :- 12/07/23	प्रस्तुत मामला प्रमोद कुमार साहु, पिता–कामेश्वर प्रसाद साव, के द्वारा मौजा–हुडहुडु, थाना नं0–147 के खाता संख्या–117, प्लॉट संख्या–11, रकबा–0.08 एकड़ रैयती भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने हेतु वकालतन आवेदन दाखिल जाने से संबंधित है। **आवेदक द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया जो निम्नवत है:–** 1. सदर अंचल,अन्तर्गत मौजा–हुडहुडु, थाना नं0–147 के खाता संख्या–117, प्लॉट संख्या–11, रकबा–1.35 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में कपूर चन्द, पिता–रामलाल गोप नाम से दर्ज है जो रैयती खाते की भूमि है। 2. मौजा–हुडहुडु, थाना नं0–147 के खाता संख्या–117, प्लॉट संख्या–11, रकबा–0.08 एकड़ भूमि आवेदक के पिता कामेश्वर प्रसाद साव को विक्रय विलेख संख्या 13587 दिनांक 14.11.1991 के द्वारा हासिल है एवं उक्त भूमि पर उनका शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 3. आवेदक के पिता कामेश्वर प्रसाद साव के द्वारा भूमि क्रय किये जाने के फलस्वरूप अपने नाम से नामान्तरण हेतु आवेदन किये। अंचल कार्यालय द्वारा विधिवत दाखिल खारिज उनके नाम से करते हुए मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया। जो अंचल कार्यालय के पंजी II के पृष्ठ संख्या 126 भौलूम–8 दर्ज है 4. प्रश्नगत भूमि का मालगुजारी रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। 5. पिता की मृत्यु उपरांत उक्त सम्पत्ति पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल चला आ रहा है। 6. आवेदक को आवश्यक कार्यवश उक्त भूमि को बिक्री करने के उददेश्य से जिला अवर निबंधक कार्यालय से सम्पर्क करने पर जानकर ज्ञात हुआ उक्त भूमि प्रतिबंधित सूची में होने के कारण बिक्री पर रोक है, जो कि विधिसंगत नहीं है।	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उपरोक्त तथ्यों को रखते हुए आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

वर्णित परिस्थितियों में प्रश्नगत भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग के पत्रांक 1029 दिनांक 30.05.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि :–

"मौजा–हुडहुडु, थाना नं0–147 अन्तर्गत खाता नं0–117, प्लॉट नं0–11, रकबा–1.35 ए0 भूमि ऑनलाईन खतियान में कपूर चन्द वल्द रामलाल गोप, जाति गोवाला दर्ज है, जो रैयती खाते की भूमि है। केवाला संख्या–13587, दिनांक–14.11.2019 द्वारा कामेश्वर प्रसाद साव, पिता–महाबीर साव को खाता नं0–117, प्लॉट नं0–11, रकबा–0.08 एकड़ भूमि खरिदगी से हासिल है। पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–126/VIII पर जमाबंदी दर्ज है। लगान वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। खाता नं0–117 का प्लॉट संख्या–11, रकबा–08 डिसमिल भूमि है, जो रैयती खाते की भूमि है।"

संबंधित मामले की सुनवाई विभिन्न तिथियों में किया गया। आवेदक द्वारा अपने पक्ष में निम्न कागजात प्रस्तुत किया गया है:–

01. केवाला संख्या–13587 दिनांक 14.11.19 की छायाप्रति।
02. लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक का छायाप्रति।
03. ऑनलाईन खतियान की छायाप्रति।
04. ऑनलाईन पंजी–II की प्रति।

अतः अंचल अधिकारी, सदर के प्रतिवेदन तथा उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा विभिन्न तिथियों में की गई सुनवाई में पाये गये तथ्यों से स्पष्ट होता है कि:–

(i) मौजा–हुडहुडु, थाना संख्या–147 अन्तर्गत खाता संख्या 117 प्लॉट संख्या–11 रकबा 1.35 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में कपुर

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश क्रम सं0 तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	चन्द वल्द रामलाल गोप के नाम से रैयती दर्ज है। (ii) मौजा–हुडहुडु, थाना संख्या–147 अन्तर्गत खाता संख्या 117 प्लॉट संख्या–11 रकबा–8 डी0 भूमि की जमाबंदी पंजी II के पृष्ट संख्या–*126* भाग संख्या–*VIII* में कामेश्वर प्रसाद साव, पिता–महाबीर साव के नाम से कायम है। लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। (iii) उक्त भूमि आवेदक के पिता को केवाला संख्या–13587 दिनांक 14.11.19 के द्वारा प्राप्त है। दोनों पक्षों को सुनने एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयती प्रतिवेदित है। भूमि को प्रतिबंधित सूची में रखने का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं है। अतः अंचल अधिकारी, सदर के प्रतिवेदन, वादी के अभिकथन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रश्नगत भूमि को प्रतिबंधित सूची से मुक्त किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह भूमि मुक्ति आदेश आवेदक के Right, Title, Interest ,एवं Share (हिस्सा) को सम्पुष्ट नहीं करता है। आदेश से सभी संबंधित को अवगत करा दिया जाय। लेखापित एवं संशोधित 12/7/23 उपायुक्त, हजारीबाग। 12/7/23 उपायुक्त, हजारीबाग।	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.07.13 17:15:20 +05:30
Location: 192.168.1.3